अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016

सं.14/2016-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.)

सा0का0नि0...........(अ)- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 27/2012-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 18 जून, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड (3) उपखंड (i) में, सा.का.नि. सं. 461(अ), तारीख 18 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना के पैरा 3 के खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ख) प्ररूप क में आवेदन को, उसमें विनिर्दिष्ट दस्तावेजों और ऐसी तिमाही से, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है, संबंधित अनुलग्नकों के साथ निम्नानुसार फाइल किया जाएगा :

(i) विनिर्माता की दशा में, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 11ख में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व ;

(ii) सेवा प्रदाता की दशा में, निम्नलिखित तारीख से एक वर्ष के अवसान से पूर्व,--

(क) संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में संदाय की प्राप्ति, जहां सेवा की व्यवस्था ऐसे संदाय की प्राप्ति से पूर्व पूर्ण कर दी गई थी ;

(ख) बीजक जारी करने की तारीख, जहां सेवा के लिए संदाय बीजक जारी करने की तारीख से पूर्व अंग्रिम में प्राप्त हो गया था ।"।

(फा.सं. 334/8/2016-टीआरयू)

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 27/2012- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 18 जून, 2012, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 461(अ) तारीख 18 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई ।